संसाधन पुस्तिका

aadi

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

hans THE FOUNDATION

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅुचेगा ।

हरियाणा पिछड़ा
एवं
आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग कल्याण निगम

1. हरियाणा पिछड़ा एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम

समाज में सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछडे वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाने व उनके विकास , कल्याण व उन्नति के लिए इस निगम का गठन किया गया है । इसके द्वारा उनकी शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य तथा जागरूकता पर कार्य किया जाता है । इसके लिए निगम ,उनको शिक्षा तथा उनके साथ किसी प्रकार के होने वाले विवाद या अत्याचार होने पर कानूनी व आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा बीमारी हो जाने पर सुविधाओं से जोडता है ।

निगम के द्वारा पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिनमें प्रमुख योजनाएँ हैं :

1.1 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

योजना क्या है ?

विधवा/निराश्रित महिला की बेटी, अनाथ लड़की तथा खिलाड़ी लड़की जो कि गरीब परिवार से सम्बन्धित है, के विवाह के लिए यह योजना चलाई गई है जिसके तहत् विधवा महिला जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम है ,उसे 51000 रूपए की मदद दी जाती है। जिसमें 46000 रुपए शादी के पहले या शादी के दिन दिए जाते हैं, शेष 5000 रुपए छः माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर मिलते हैं।

अनुसूचित जाति के परिवार, जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला, जिनकी वार्षिक आय 100,000 रूपए से कम है , उन्हें 41000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 36000 रूपए शादी से पहले या शादी के दिन ,शेष 5000 रूपए बाकी छः महीने के अन्दर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर मिलते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति (अनुसूचित जाति को छोड़कर) तथा सभी वर्गों के परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि या परिवार की वार्षिक आय 100000 रुपए से कम है, उन्हें 11000 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 10000 रूपए शादी से पहले या शादी के दिन, शेष 1000 रूपए अगले छः महीने के अन्दर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर मिलते हैं।

महिला खिलाड़ी के विवाह के लिए 31000 रूपए किसी भी जाति या कोई भी आय वर्ग होने पर मिलेंगे । इसके लिए हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र, लड़की की आयु 18 वर्ष ,वर की आयु 21 के प्रमाण पत्र होने चाहिए। यह लाभ दो लड़कियों तक मिलता है। विधवा/तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है यदि पहले नही लिया है ।

प्रक्रिया

विवाह से एक महीने पहले ऑन लाईन द्वारा वैब साइट www.haryanawelfareschemes.org पर फॉर्म भरना है । जिला समाज कल्याण विभाग इसकी स्वीकृति देते हैं उसके बाद ही सहायता मिलती है। यदि विवाह के बाद फॉर्म जमा करवाया जाता है तो सक्षम् प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृति दी जाती है वे लोग हैं, शादी के एक महीने बाद के लिए– जिला समाज कल्याण अधिकारी, शादी के 3 महीने बाद के लिए– जिला उपायुक्त ,शादी के 6 महीने बाद के लिए– सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्त ।

1.2 डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना

योजना क्या है ?

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों में पढाई के स्तर को बढ़ावा देने के लिए यह योजना है, जो कि 10 वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्रों के लिए है। इस योजना के लिए छात्र के पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण प्रत्र हो।छात्र अनुसूचित जाति एवमं पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। प्रोत्साहन राशि 8000 रुपए से 12000 रुपए प्रतिवर्ष है।

प्रक्रिया

ऑन लाईन फार्म वैब साइट www.haryanawelfareschemes.org पर भरना होता है। राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में जाती है।

1.3 अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए लिए आर्थिक सहायता

योजना क्या है ?

इस योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा की तैयारी निजी कोचिंग संस्थान के द्वारा करने लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। इस योजना के लिए पात्रता है कि छात्र के पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण प्रत्र हो व छात्र अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 रूपए लाख से अधिक न हो। अभ्यार्थी परीक्षा के लिए सभी जरूरी योग्यता रखता हो ,अभ्यार्थी को एक ही परीक्षा के लिए केवल दो ही मौके मिलेगें । प्रोत्साहन राशि 10000 रूपए मिलेंगे।

प्रक्रिया

जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा तहसील समाज कल्याण अधिकारी के पास फॉर्म होते हैं या विभाग की वेब साईट से फॉर्म डाउन लोड करना होता है तथा जब विज्ञापन आये तो पूर्णतया भरे फॉर्म को जमा करना होता है। राशि कोचिंग संस्थान के बैंक खाते में जमा की जाती है।

1.4 मुख्य मंत्री समाजिक समरसता अन्तर जातीय विवाह शगुन योजना

योजना क्या है ?

सामाजिक सोहार्द्र व अन्तर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना है। इस योजना के लाभ को लेने के लिए दोनो जीवन साथी भारत के निवासी हों, एक अनुसूचित जाति से हो व दोनो में से एक हरियाणा का स्थायी निवासी हो । विवाहित जोडे को 101000 रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं । लाभ देने का तरीका यह है कि 51000 रूपए की राशि सीधे विवाहित जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में विवाह के एकदम बाद भेज दी जाती है तथा बकाया राशि विवाह के एक वर्ष तक साथ रहने पर मिलती है। योजना का लाभ केवल एक बार तथा पहले विवाह पर ही मिलता है।

प्रक्रिया

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साक्ष्य के तौर पर एक प्रमाण पत्र लगाना होता है, जो कि जिला जज सिविल विवाह होने पर देता है अथवा तहसीलदार/उप डिवीजनल जज के द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना होता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन पत्र में दिए गये तथ्यों व स्थान को सत्यापित करते हैं। उसके उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी राशि को मंजूर करते हैं। मंजूर हो जाने के बाद , जिला समाज कल्याण अधिकारी राशि को सीधे विवाहित जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में जमा करवा देते हैं।

1.5 अनुसूचित जाति व विमुक्त जातियों को कानूनी सहायता

योजना क्या है ?

यह राज्य/केन्द्र सरकार की 50–50 प्रतिशत की साझा योजना है जिसमें अनुसूचित जाति व विमुक्त जाति के सदस्यों को अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता दी जाती है ।

उदाहरण के तौर पर मुकदमें जैसे–जमीन व अचल सम्पत्ति विवाद, छुआ–छूत, भेदभाव के तहत नल का उपयोग न करने देना, मंदिर में प्रवेश न करने देना, नौकरी में आरक्षण के लिए कोर्ट में दायर मुकदमों में, जमींदारों के द्वारा खसरे/खतौनी में नाम सही करवाने के लिए, मकान मालिक के द्वारा किराया वसूली के विरूद्व दायर मुकदमों में , रास्ते के अधिकार के मुआवजे के लिए दायर मुकदमों में , माता–पिता/पति के द्वारा न देखभाल करना या महिला/लडकी का अपहरण या बहकाने में हुई क्षति के मुआवजे के लिए दायर मुकदमों में ,जबरदस्ती मैला ढ़ोने के लिए विवश करने के लिए दायर मुकदमों में सहायता दी जाती है।

प्रक्रिया

जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा 5500रूपए तक की वकील की फीस मंजूर की जाती है व उससे ऊपर की फीस के लिए जिला उपायुक्त मंजूरी देते हैं । विभाग प्रत्येक वर्ष, पात्र व्यक्तियों से जो कि अनुसूचित जाति व विमुक्त जातियों से हैं से आवेदन मांगता है ।

1.6 अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा किए गये अच्छे कार्यो के लिए प्रोत्साहन राशि

योजना क्या है ?

यह राज्य/केन्द्र सरकार की 50–50 प्रतिशत की साझा योजना है जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा किए गये अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि उस ग्राम पंचायत को दी जाती है ।

पात्रता

- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें उच्चतम लिंग अनुपात हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें निम्नतम शिशु मृत्यु दर हो

- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें उच्चतम शिक्षा दर हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें उच्चतम महिला साक्षर दर हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक शौचालय प्रतिशत हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत साफ ईंधन खाना बनाने मे प्रयोग हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक स्नानघर प्रतिशत हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक रसोईघर प्रतिशत हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक पानी निकासी प्रतिशत हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक साफ पानी के साधन प्रतिशत हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक दोपहिया साईकिल प्रतिशत हो
- अनुसूचित जाति गॉव जिसमें सबसे अधिक बैंक खाता प्रतिशत हो

1.7 डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना

योजना क्या है ?

इस योजना के तहत् मरीज जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति से है, जो कि जान के खतरे वाली बीमारी जिसमें गुर्दे, हृदय, कैंसर तथा मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी की सर्जरी घुटने की या अन्य सर्जरी शामिल हैं से ग्रस्त हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 100000रूपए से कम है ,उनका ईलाज विभिन्न अस्पतालो के द्वारा किया जाता है।

- एम्स, नई दिल्ली
- केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत आने वाले सभी अस्पताल
- सभी राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जो कि अस्पताल से जुड़े हैं तथा केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत् नही आते हैं।
- सभी राज्य अस्पताल
- सभी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल
- सभी अस्पताल जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्राप्त करते हैं।
- सभी सरकारी अस्पताल जो जिला मुख्यालयों में /बडे शहरों में हैं जहॉ गुर्दे, हृदय, कैंसर तथा मस्तिष्क या अन्य जान के खतरे वाली बीमारी जिसमें घुटने व रीढ की हड्डी की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है ।

प्रकिया

प्रार्थी को निगम से निर्धारित प्रार्थना पत्र के द्वारा मेडिकल सहायता के लिए आवेदन करना है, जो सम्बन्धित अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा प्रमाणित होगा । फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड तथा इलाज का अनुमानित खर्च जो कि अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा प्रमाणित होगा, लगेगा ।

प्रार्थना पत्र को स्थानीय सांसद या जिला जज और कलैक्टर या सम्बन्धित जिले के उपायुक्त या सचिव प्रभारी–स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के द्वारा आगे भेजा जायेगा । पूर्ण रूप से भरे हुए प्रार्थना पत्र को सर्जरी के 15 दिन पहले निदेशक, डा. अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ, नई दिल्ली के पास पहुँचना चाहिए ।

1.8 अत्याचार से पीड़ितों को राहत योजना

योजना क्या है ?

इस योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति के जिन सदस्यों की ,गैर अनुसूचित जाति के द्वारा किए गये अत्याचारों के कारण सिंचांई के कुऍं/टयूब वैल की क्षति हुई है ,सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, गंभीर चोट आयी है या स्थायी/अस्थायी असमर्थतता हो गई है, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राहत राशि, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दी जाती है।

प्रकिया

वैबसाइट www.preventionofatrocities.org पर आवेदन करना होता है। जिला उपायुक्त के द्वारा राशि मंजूर की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

जिला प्रबन्धक,
हरियाणा पिछड़ा एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम ,
छठा तल, बी ब्लॉक, लघु सचिवालय, सैक्टर–12, कोर्ट,
फरीदाबाद

और अधिक जानकारी के लिए राज्य स्तर के कार्यालय से सम्पर्क करें जिसका पता है :

निदेशक,
हरियाणा पिछड़ा एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम,
एस. सी. ओ. 42–44, सैक्टर 17 ए,
चण्डीगढ़–160017
फोन नम्बर 0172–2704006
ई–मेल **woscbc@hry.nic.in**

संदर्भ सूची

वैब साइट www.haryanawelfareschemes.org